प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 173/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पिता स्व. सोहन लाल कोठारी निवासीः कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर पटवारियों के कार्यभार ग्रहण के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/173/25/1051–52 दिनांक 23.10.2025 एवं पत्रांक 191–92 दिनांक 02.02.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय से पटवार मण्डल वल्लभनगर में कार्यरत पटवारी श्री हितेश रेगर एवं श्री कमलेश मीणा द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय चार्ज में लिये गये रेकार्ड/दस्तावेजों की सूचना चाही गई है। यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा इस कार्यालय के पत्रों के क्रम में पृथक से कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, तथापि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 86 दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से बिन्दुवार उत्तर प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ संलग्न की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब दिनांक 09.09.2025 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं धारा 8(1) के अंतर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। उक्त अधिनियम के तहत केवल वहीं सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से संकलित हो। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में विहित प्रावधानों के अनुसार ही अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

RajKaj Ref No.: 22292083
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.18 18:54:14 IST
Reason: Approved

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में नियत समयावधि अपील में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.18 18:54:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22292083
M e-Sign